जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकःजेपीडी/मुअ(वाणिज्य)/अअ (आरई)/प.1201/प्रे.562 जयपुर, दिनांक 30-6-08

विषय :– कृषि कनैक्शन हेतु आवेदित खसरा बंटवारे मे दूसरे भाई के नाम आने एवं आवेदक के नाम दूसरा खसरा आने पर आवेदक के नाम से आवेदित कनैक्शन दूसरे खसरे में जारी करने हेतु संशोधन बाबत।

समन्वय समिति की 7 व 8 जून 2007 को आयोजित 105वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि कनैक्शन नीति 2004 (संशोधित 31/12/2005) के बिन्दु संख्या 14 में निहित प्रावधान के क्रम में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है कि :–

कृषि कनेक्शन हेतु आवेदित खसरा वैधानिक बंटवारे में दूसरे भाई के नाम आने पर आवेदक के नाम दूसरा खसरा आने पर आवेदक के नाम से आवेदित कृषि कनेक्शन दुसरे खसरे में आपसी सहमति होने पर जारी कर दिया जावें। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि यदि कृषि कनेक्शन पिता के नाम से आवेदित है तथा पिता की मृत्यु हो जाने पर सभी वारिसान भूमि का तकासमा करा लेते है और ऐसी स्थिति में आवेदित खसरा जिस वारिस के नाम आता है, उसे तो कनेक्शन जारी किये जाने का कृषि कनेक्शन नीति 2004 संशोधित 31.12.05 के बिन्दु सं0 14 में प्रावधान है ही लेकिन यदि आवेदित खसरे वाले वारिस की सहमति हो तो अन्य वारिस को अपने हिस्से के खसरे/भूमि में कनेक्शन जारी कर दिया जावें।

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1–उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2–अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर को सूचनार्थ ।
3–मुख्य अभियन्ता (पवस–जयपुर/कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा ।

C:/REO Order 1-H/REO 161
28